01/4/21 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकार उपस्थित नहीं। नहीं अधिवक्ता की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित। पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकार को समयानुसार समय समयपर एक-एक कर अवसर लगाया गया, किन्तु कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली में अधिवक्ता का बाद अदम पैरवी / अदम हाजरी में वाद एक अन्तर्गत धारा 53 RTA 1955 को अदम पैरवी / अदम हाजरी के आधार पर किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णीत इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड
सलूंबर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.06.07 17:14:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner